

"मजबूत लोकतन्त्र सबकी भागीदारी"

जिला निर्वाचन कार्यालय (प्रथम तल मार्केट कमेटी भवन) जिला ऊना ।

संख्या: ई.एल.एन.-ऊना-5-11/2016-8073

दिनांक: 20/01/2017

प्रेषक

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),  
जिला ऊना (हि.प्र.)।

सेवा में

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,  
जिला ऊना ।

विषय:-  
महोदय,

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25-जनवरी, 2018 के आयोजन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषय पर, मुझे यह कहना है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 25 जनवरी, 2018 को जिला स्तर, उपमण्डल स्तर तथा समस्त मतदान केन्द्रों पर 18 वर्ष की आयु से अधिक पात्र युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने और मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आठवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत समस्त सरकारी विभागों/कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिनांक 24-01-2018 को 11.00 बजे लोकतंत्र में भागीदारी बारे शपथ ली जानी अपेक्षित है ।

अतः शपथ की प्रति सलंगन भेजकर आपसे अनुरोध है कि दिनांक 24-01-2018 को 11 बजे पूर्वाह्न अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलवाकर कृत कार्यवाही बारे इस कार्यालय को अवगत करने की कृपा करें ।

भवदीय,

सलंगन: (1)

प्रतिलिपि प्रेषित:-ई०एल०एन०ऊना-5-2/2018-

उपनिदेशक, उच्च/माध्यमिक शिक्षा, ऊना, जिला ऊना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । आपसे निवेदन है कि अपने अधीन जिला के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों को स्कूलों में दिनांक 20-01-2018 से 24-01-2018 तक मतदाता जागरूकता से सम्बन्धित नाटक, चित्रकला व भाषण आदि का आयोजन करने हेतु निर्देशित करें तथा इन सभी आयोजनों का विवरण फोटो/समाचार कतरनो सहित जिला निर्वाचन कार्यालय, ऊना को दिनांक 30-01-2018 से पूर्व भेजने की कृपा करें ।

कृते जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),  
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.) ।  
दिनांक 20-01-2018

कृते जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),  
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.) ।

25<sup>th</sup> January, 2018

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

मतदाताओं द्वारा ली जाने वाली शपथ

" हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे"।

.....